

कार्यालय निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा एवं पं.राज(प्रा.शि.) राजस्थान, बीकानेर


-:कार्यालय आदेश:-

राज्य सरकार वित्त विभाग के आदेश क्रमांक:- एफडी(ग्रुप-2)/76 जयपुर दिनांक 11.06.1984, 18.08.1989 व 02.05.1998 एवं संशोधित आदेश No. F10(4) FD Rules/76 Dated 12 September 2008 एवं संशोधित आदेश No. F6(6) FD/ Rules/2010 Dated 25-04-12 के प्रावधानुसार सामान्य चिकित्सालय चित्तौडगढ के मेडिकल बोर्ड की अभिशंषा तथा जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक शिक्षा, चित्तौडगढ की अभिशंषा पर श्रीपवन कुमार खटीक अध्यापक, रा.बा.उ.प्रा.वि आरणी प.स.राशमी चित्तौडगढ को कार्यालय में पूर्ण प्रकरण प्राप्त होने की दिनांक 24.01.19 से Rajasthan Civil Service (Revised Pay) Rules, 2012 के अन्तर्गत उनके मूल वेतन का 6 प्रतिशत किन्तु 600/- रुपये (अक्षरे रुपये छः सौ मात्र) से अधिक नहीं का मासिक में विकलांग भत्ता एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है। श्रीपवन कुमार खटीक को यह भत्ता अवकाश (आकस्मिक अवकाश को छोड़कर) ग्रीष्मवकाश, शीतकालिन अवकाश दशहरा, दीपावली अवकाश, कार्यभार संभलने हेतु मिलने वाले समय तथा निलम्बन अवधि के लिए देय नहीं होगा।

आज्ञा से
निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/प्रारं/शि.सं./एफ-4/1054/वि.भत्ता/उदयपुर मण्डल/19/ दिनांक-25/01/19
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1-जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक शिक्षा, चित्तौडगढ को रजिस्टर्ड डाक से संलग्न मूल विकलांग प्रमाण पत्र सहित।
- 2-मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बी.आर.सी.एफ.समग्र शिक्षा अभियान, राशमी ।
- 3- श्रीपवन कुमार खटीक अध्यापक, रा.बा.उ.प्रा.वि आरणी प.स.राशमी चित्तौडगढ
- 4-रक्षित पत्रावली।


जिला शिक्षा अधिकारी 25/01/19
प्रारंभिक शिक्षा एवं प.राज(प्राशि)
राजस्थान बीकानेर